UPPB010006452024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 2 जनपद पीलीभीत।

पीठासीनः राम किशोर IV, एच0जे0एस0 UP-6077

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 125/2024

उत्तर प्रदेश राज्य.....अभियोजन पक्ष।

प्रति

1. विवेकनाथ अग्रवाल पुत्र राकेशनाथ अग्रवाल,
2. विश्वनाथ अग्रवाल पुत्र राकेशनाथ अग्रवाल,

निवासीगण मोहल्ला इनायतगंज होली चौराहा, थाना सुनगढ़ी, जनपद पीलीभीत।

अपराध संख्या– 336/2023
अंतर्गत धारा– 323/34,
504 व 506 भा0दं0सं0 एवं धारा
3(2)(5ए) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना– सुनगढ़ी,
जिला– पीलीभीत।

निर्णय

(1) अभियुक्तगण विवेकनाथ अग्रवाल व विश्वनाथ अग्रवाल के विरूद्ध पुलिस थाना सुनगढ़ी, जनपद पीलीभीत द्वारा अंतर्गत धारा 323, 504 व 506 भा0द0सं0 व धारा 3(2)(5ए) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आरोपपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्तगण का विचारण उक्त धाराओं में किया गया।

(2) अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि उसकी माता श्रीमती उषा रानी ने करीब 40 वर्ष पूर्व जयटॉकीज के सामने नरेश अग्रवाल से बतौर रजिस्ट्रीशुदा जगह खरीदी थी, बैनामे में उसके घर में मेन रोड तक 14 फिट का रास्ता अंकित है। तब से वह व उसका परिवार उस रास्ते से निकलता चला आ रहा है। उसके घर के आगे विवेकनाथ व विश्वनाथ पुत्रगण राकेशनाथ निवासी सिविल लाइन साउथ जय टॉकीज के सामने थाना सुनगढ़ी, जिला पीलीभीत अपने होटल आदि का निर्माण कर रहे है, जिसमें उसके निकास के 14 फिट के रास्ते को भी अवैध रूप से दंबगई के बल पर निर्माण कर कब्जा करना चाहे है। उपरोक्त लोगों ने रास्ते पर ईंट रोड़ा बांस आदि डालकर अतिक्रमण कर रखा है। उसने इसका विरोध किया तो उपरोक्त लोग गाली गलौज व जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करने लगे कि चमट्टे तेरे रास्ते पर तो हम कब्जा करके रहेंगे। दिनांक 05.10.2023 को शाम करीब 7 बजे वह अपने घर से बाहर स्टेशन रोड पर कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, तभी विवेकनाथ व विश्वनाथ व दो अन्य अज्ञात लोग उसको जातिसूचक शब्द चमट्टे आदि कहकर उससे हाथापाई व गाली गलौच करने लगे और उससे

Digitally signed by Ram Kishor
Date: 2026.03.07 16:11:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कहने लगे कि अबे चमट्टे अगर तूने हमारे खिलाफ पुलिस से शिकायत की, तो तुझे जान से मार देंगे। उसको उपरोक्त लोगों से अपनी जानमाल का खतना बना हुआ है।

(3) उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर थाना सुनगढ़ी, जिला पीलीभीत में अपराध संख्या 336/23 धारा 323, 504 व 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)(5ए) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम में अभियुक्तगण विवेकनाथ, विश्वनाथ व दो अन्य अज्ञात लोग के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना प्रारम्भ हुई। दौरान विवेचना विवेचक ने साक्षीगण के बयानात लिये। घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी बनाया। विवेचक द्वारा विवेचना संबंधी समस्त औपचारिकतापूर्ण करने के उपरांत अभियुक्तगण विवेकनाथ अग्रवाल व विश्वनाथ अग्रवाल के विरूद्ध अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 व धारा 3(2)(5ए)एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

(4) अभियुक्तगण विवेकनाथ अग्रवाल व विश्वनाथ अग्रवाल के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 323 सपठित धारा 34, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)(5ए)एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 09.09.2024 को विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार करके विचारण की मांग की।

(5) अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए पी0डब्लू0 1 भानू प्रताप, पी0डब्लू0 2 छोटे लाल, पी.डब्लू. 3 अनुराग त्रिपाठी व पी0डब्लू0 4 अनुज कुमार त्रिपाठी को परीक्षित कराया गया है। उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी भी साक्षीगण को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है।

(6) अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये है –

क्र. सं.	साक्षी संख्या	साक्षी नाम	प्रदर्श संख्या	अभियोजन प्रपत्र
1	पी.डब्लू. 1	भानूप्रताप	प्रदर्श क–1	तहरीर
2	पी.डब्लू. 2	छोटे लाल	–	–
3	पी.डब्लू. 3	अनुराग त्रिपाठी	–	–
4	पी.डब्लू. 4	अनुज कुमार त्रिपाठी	–	–

(7) अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों आरोप पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट व घटनास्थल नक्शानजरी की प्रमाणिकता की औपचारिक सत्यता को अंतर्गत धारा 294 दं0प्र0सं0 स्वीकार की गयी है। अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता की औपचारिक सत्यता को स्वीकार कर लिये जाने के कारण अभियोजन पक्ष की ओर से किसी औपचारिक साक्षीगण को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया तथा अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गयी।

(8) अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान में अभियोजन कथानक व साक्षीगण के बयानों को गलत बताया है तथा अभियुक्तगण द्वारा यह भी कथन किया है कि वे निर्दोष है, उनको झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

(9) अभियोजन की ओर से दौराने बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी मुकदमा के साथ मारपीट करके स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गयी, गंदी गंदी गालियां देकर उसे साशय अपमानित किया गया, उसको भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर भयत्रस्त किया तथा उसे अनुसूचित जाति का जानते हुए लोकदृष्टि वाले स्थान पर उसकी जाति को संबोधित करते हुए जातिसूचक शब्दो से अपमानित किया गया है। साक्षीगण के साक्ष्य से अभियोजन कथानक साबित होता है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पूर्णतः साबित है। अतः उन्हें दोषसिद्ध किया जाये।

(10) बचाव पक्ष अधिवक्ता की ओर से अभियोजन के तर्कों का खंडन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। पत्रावली में सी.ओ., एस.पी. व जिला मजिस्ट्रेट को कथित घटना की सूचना देने का प्रार्थना पत्र शामिल नहीं है। वादी के चिकित्सीय रिपोर्ट के उसके शरीर पर कोई चोट आना दर्शित नहीं किया गया है और न ही साक्षीगण ने घटना होते देखा है। साक्षीगण के बयानों में घोर विरोधाभास है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये उपर्युक्त आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

(11) मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

(12) अभियुक्तगण पर धारा 323 सपठित धारा 34, 504 व 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)(5ए)एस0सी0/एस0टी0 अपराध के विषयक लगाये आरोप के संदर्भ में प्रस्तुत साक्ष्य से यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर सामान्य आशय से वादी मुकदमा भानूप्रताप के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित करने, साशय अपमानित करने के आशय से गालियां देने, जान से मारने की धमकी देने एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य को लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर उसकी जाति को संबोधित करते हुए जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया है।

(13) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी **पी0डब्लू0 1 भानू प्रताप** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि''घटना दिनांक 05.10.2023 समय सायं 7.00 बजे की है। मैं अपने से बाहर स्टेशन रोड पर कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, तभी विवेक नाथ व विश्वनाथ व दो अन्य अज्ञात लोग आकर मुझसे गाली गलौज व हाथापाई करने लगे एवं जाति सूचक शब्द अबे चमट्टे तुझे हम यहां रहने नहीं देंगें, यदि तूने पुलिस में शिकायत की, तो तुझे जान से मार देंगें, जिससे मैं बात कर रहा था, छोटेलाल व दो तीन और जो रास्ते पर जा रहे था, कालीचरन झगड़े को देखकर रूक गये और मुझे बचाया। मेरे घर से सरकारी सड़क तक जाने का 14 फिट चौड़ा रास्ता, जो कि मेरे घर से लेकर सरकारी सड़क स्टेशन रोड तक जाता

है। 14 फिट रास्ते का उल्लेख मेरे बैनामे में भी है। इसी रास्ते पर विवेकनाथ और विश्वनाथ ने ईट, रोड़ा और बांस के द्वारा अतिक्रमण कर रखा था, जिसकी शिकायत पूर्व में मैंने पुलिस से की थी, इसी बात की रंजिश को लेकर विवेकनाथ व विश्व नाथ ने मेरे साथ उक्त घटना कारित की थी। मैं उसी दिन थाने गया था, परन्तु एस.ओ. व्यस्तता के कारण मेरी सूचना अंकित नहीं की गयी। 6 तारीख को मा. मुख्यमंत्री आये थे। 7 तारीख को मैं फिर से थाने गया, तो उन्होंने कहा कि हम जांच करने के उपरान्त मुकदमा लिखेंगें। फिर मेरा मुकदमा जांच के बाद दिनांक 18.10.2023 को दर्ज किया गया। मैंने तहरीर बोल बोल कर टाइप करायी थी, तहरीर को मैंने पढ़कर हस्ताक्षर किया था। तहरीर पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसका तस्दीक करता हूॅ, प्रदर्श क–1 डाला गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मेरी डाक्टरी पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल, पीलीभीत में करायी गयी थी। सी.ओ. साहब ने मुझसे घटना के सम्बन्ध में पूछताछ की थी। मेरी निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि ''मेरा मुल्जिमान के साथ गली को लेकर झगडा सन् 2012 में भवन बनाते समय नहीं था। सन् 2022 में जब दोबारा से निर्माण शुरू हुआ तब से मेरा अभियुक्तगण से झगड़ा था। सन् 2023 से बांस, बजरी, आदि दुनिया भर का सामान रास्ते में था, जिसकी रिपोर्ट मैंने 27.09.2023 को दी थी, परन्तु मैं सी.ओ. साहब को कोई रिपोर्ट दी। न ही मेरी इस रिपोर्ट पर कोई चिक कटी, न ही कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। झगड़ा हमारा बसस्तूर चलता रहा। करीब 5 खिडकियां हैं, जिनको मैं कभी बन्द नहीं करना चाहता था, न ही कभी बन्द किया। कैसे वह खिडकियां बाहर से बन्द हो गयीं, मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि खिडकियों के बन्द करने की रंजिश थीं और मैंने जबरदस्ती खिडकियां बन्द की हों। मैं दिनांक 05.10.2023 को थाना सुनगढ़ी रिपोर्ट लिखाने गया था और टाइप रिपोर्ट लेकर गया था। जब रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तो मैं वह अपनी टाइप रिपोर्ट वापस ले आया। मैंने इसकी कोई शिकायत एस.पी.साहब के पास जाकर नहीं की कि थाना सुनगढ़ी पुलिस ने मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, क्योंकि जरूरी नहीं समझा। दिनांक 18.10.2023 तक मैंने अपना कोई मेडिकल नहीं कराया न ही किसी डाक्टर को दिखाया। मैं दिनांक 07.10.2023 को थाना सुनगढ़ी गया था, उस दिन वह दिनांक 05.10.2023 वाली टाइपशुदा रिपोर्ट थाने पर ली गयी, परन्तु लिखी नहीं गयी, न ही मुझे उसकी कोई प्राप्ति दी गयी। दिनांक 07.10.2023 को एस.ओ. सुनगढ़ी ने कहा कि रिपोर्ट अभी नहीं लिखूंगा, पहले इसकी जांच करूंगा, फिर मुझे 14 तारीख को बुलाया, मैं गया, परन्तु फिर भी मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। इसकी भी कोई शिकायत मैंने एस.पी. से जाकर नहीं की। जो आज मैंने बताया है कि मैं 5 तारीख को थाने गया था, परन्तु मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और मुझे 7 तारीख को दोबारा बुलाया, फिर कह दिया कि मैं इस रिपोर्ट की जांच करूंगा, रिपोर्ट नहीं लिखूंगा और 18 तारीख को मैं पुनः प्रार्थना पत्र टाइप कराकर लेकर गया, यह सारी बातें मैंने 18 तारीख वाली एफ.आई.आर. में नहीं लिखीं। मुझे ध्यान नहीं कि सी. ओ. ने मेरा वयान कब लिया था। मैंने रिपोर्ट में यह भी नहीं लिखा कि कालीचरन और छोटेलाल वहां पर मौजूद थे और मैं छोटेलाल से बात कर रहा था क्योंकि मैंने जरूरी नहीं समझा। मैंने सी.ओ. साहब को बता दिया था कि थाना सुनगढ़ी की पुलिस ने 5 तारीख को मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी थी और मुझे 7 तारीख को आने को कहा था और यह भी बता दिया था कि एस.ओ. साहब ने 7 को कहा कि मैं पहले इस घटना की जांच करूंगा, उसके बाद ही रिपोर्ट लिखी जायगी या नहीं तय करूंगा। अगर उपरोक्त बातें सी.ओ. के वयान में नहीं लिखी है, तो मैं कोई वजह नहीं बता सकता। मैंने सी.ओ. साहब को यह भी बता दिया था कि कालीचरन और छोटे लाल ने घटना देखी है। कालीचरन मेरे यहां एक साल पहले दूध लेकर आता था। छोटेलाल एक मुकदमें के सिलसिले में मुझसे मिला था। घटना स्थल के

आसपास तमाम दुकानें है, जिसपर लोग अपना काम धन्धा करते हैं, उनमें से कोई भी इस मुकदमें में गवाह नहीं है। सी.सी.टी.वी. के कैमरे वहां लगे हुये थे और करीब 50 कदम की दूरी पर जिनकी दुकानें थी वह दुकानदार अपनी–अपनी दुकानों से घटना देख रहे थे। इस सड़क पर रात तक तमाम ट्रैफिक दिन रात चलता है, परन्तु उसमें से भी कोई गवाह इस मुकदमें में नहीं है। जब पहले से मैटेरियल पड़ा था और मैंने रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की तब भी रिपोर्ट नहीं खिली गयी, इसकी शिकायत मैं एस.पी. साहब को प्रार्थना पत्र दिया था, परन्तु वह प्रार्थना पत्र पत्रावली में नहीं है तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। प्रश्नः–मुझसे सी.ओ. साहब ने पूछा था कि इतने दिन बाद रिपोर्ट लिखाने क्यों आये हो। उत्तरः–यह गलत है कि मैं खामोश रहा, परन्तु मैंने उपर जो बातें बतायी है, वह सी.ओ. साहब को बतायीं थी, उन्होंने वयान में क्यों नहीं लिखीं मैं कोई वजह नहीं बता सकता। 14 फिट का रास्ता मुस्तरका रास्ता है, अभियुक्तगण के होटल व मेरे घर के बीच में पीछे की तरफ भी 5 फिट का मुस्तरका रास्ता है।यह कहना गलत है कि बेजा दबाब डालने के लिए मैं गलत वयानी कर रहा हूॅ। यह कहना भी गलत है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुयी और बेजा दबाब बनाने के लिए मैंने झूठा मुकदमा डाला है। ''

(14) इस साक्षी के साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 05.10.2023 समय सांय 7 बजे वह अपने घर से बाहर छोटे लाल व दो तीन अन्य लोगों से बातचीत कर रहा था, तभी विवेकनाथ व विश्वनाथ व दो अज्ञात लोग आकर उसे गाली गलौज व हाथापाई करने लगे तथा जातिसूचक शब्द अबे चमट्टे तुझे हम यहां रहने नहीं देगे, यदि तूने पुलिस में शिकायत की, तो तुझे जान से मार देंगे। कालीचरन ने उसे बचाया। उसके घर से सरकारी सड़क तक जाने का 14 फिट चौड़ा रास्ते का उल्लेख उसके बैनामे में है, इसी रास्ते पर विवेकनाथ व विश्वनाथ ने ईंट, रोड़ा और बांस के द्वारा अतिक्रमण कर रखा था, जिसकी शिकायत पूर्व में उसने पुलिस थाने से की थी, इसी बात की रंजिश को लेकर विवेकनाथ व विश्वनाथ ने उसके साथ उक्त घटना कारित की थी। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसका मुल्जिमान के साथ झगड़ा गली को लेकर 2012 में भवन बनाते समय नहीं था। सन् 2022 में जब दोबारा से निर्माण शुरू हुआ, तब से उसका अभियुक्तगण से झगड़ा था। सन् 2023 में बांस, बजरी आदि दुनिया भर का सामान रास्ते में था, जिसकी रिपोर्ट उसने दिनांक 27.09. 2023 को दी थी। झगड़ा हमारा बसस्तूर चलता रहा, करीब 5 खिड़कियां है, जिनको वह कभी बंद नहीं करना चाहता था, न ही कभी बंद किया, कैसे वह खिड़कियां बाहर से बंद हो गयी, वह नहीं बता सकता। वह 5 तारीख को थाने गया था, परन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। उसे 7 तारीख को दोबारा बुलाया गया, फिर कह दिया कि वह इस रिपोर्ट की जांच करूंगा, रिपोर्ट नहीं लिखूंगा और 18 तारीख को वह पुनः प्रार्थना पत्र टाइप कराकर लेकर गया, यह सारी बाते उसने 18 तारीख वाली एफ0आई0आर0 में नहीं लिखी। उसने रिपोर्ट में यह भी नहीं लिखा कि काली चरन और छोटे लाल वहां पर मौजूद थे। मैंने सी.ओ. साहब 5 व 7 तारीख वाली बात बता दी थी। अगर उपरोक्त बाते सी.ओ. के बयान में नहीं लिखी, तो वह वजह नहीं बता सकता। उसने सी.ओ. साहब को यह भी बता दिया था कि काली चरन और छोटे लाल ने घटना देखी। घटनास्थल के आसपास तमाम दुकाने है, जिस पर लोग अपना काम धन्धा करते है, उनमें से कोई भी इस मुकदमे में गवाह नहीं है। सी.सी.टी. वी. कैमरे वहां लगे हुए है और करीब 50 कदम की दूरी जिनकी दुकाने थी, वह दुकानदार अपनी दुकानों से घटना देख रहे थे। इस सड़क पर रात तक तमाम ट्रैफिक दिन रात चलता है, परन्तु उसमें से भी कोई गवाह इस मुकदमे में नहीं है। पहले से मैटेरियल पड़ा था। उसने रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, तब भी रिपोर्ट

नहीं लिखी गयी। इसकी शिकायत वह एस.पी. साहब को प्रार्थना पत्र दिया था, परन्तु वह प्रार्थना पत्र पत्रावली में नहीं है, तो इसकी कोई वजह नहीं बता सकता।

(15) इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि पक्षकारों के मध्य गली को लेकर पूर्व से रंजिश विद्यमान थी। पक्षकारों के मध्य पूर्व से विद्यमान पारस्परिक रंजिश एक ऐसी द्विधारी तलवार है, जो जिस सीमा तक घटना कारित किये जाने के लिए उत्तरदायी है, उसी सीमा तक अभियुक्तगण को किसी आपराधिक मामले में झूठे फंसाये जाने का भी एक सशक्त कारण है। वादी द्वारा कथित घटनास्थल के आसपास दुकानदारों द्वारा घटना देखे जाने, सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे होने तथा सड़क रात दिन चलने का कथन किया है, परन्तु पत्रावली पर न ही कोई सी.सी.टी.वी. रिकॉडिंग और न ही कोई स्वतंत्र जनसाक्षी को परीक्षित कराया गया है। वादी द्वारा कथित घटना से पूर्व थाने पर भिन्न–भिन्न तिथियों पर प्रार्थना पत्र दिये जाने का कथन किया गया है, परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पत्रावली में मौजूद नहीं है। इस साक्षी के साक्ष्य में घोर विरोधाभास विद्यमान है, जिस कारण अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

(16) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी **पी0डब्लू0 2 छोटे लाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि ''घटना दिनांक 05.10.2023 समय सांय के 7 बजे की है। मैं अंदर मार्केट से त्रिपाल लेकर आ रहा था। वकील साहब श्री भानू प्रताप राय मुझे स्टेशन रोड पर मिल गये थे। मैं इन्हें तीन साल से जानता हूॅ। यह मेरा केस देख रहे थे। केस के सिलसिल में मैं और भानू प्रताप राय आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी दो व्यक्ति विवेकनाथ व विश्वनाथ आये और भानू प्रताप राय को थप्पड़ मारा और गाड़ी से गिरा दिया और जातिसूचक शब्द चमट्टा कहा और कहा कि चमट्टे तुझे रहने नहीं देंगे। यदि पुलिस से शिकायत की, तो तुझे जान से मार देंगे। मैं बीच बचाव करके वहां से चला गया। पुलिस ने मुझसे घटना के संबंध में पूछताछ की थी।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि''आज मुझे गवाही के लिए भानू प्रताप लेकर आये हैं, जो न्यायालय में मौजूद हैं। 15–20 दिन के अन्दर मैं बुलाने पर सी.ओ. कार्यालय गया था। मैं भानू प्रताप का मुवक्किल हूॅ, वह मेरे वकील है, जो मेरा केस देख रहे थे। सी.ओ. कार्यालय मे मेरा वयान सी. ओ. के पेशकार ने लिया था। मैंने सी.ओ. को यह बताया था कि मारापीटी हुयी थी, जाति सूचक शब्द कहे थे, बाकी कुछ नही बताया था। मैंने सी.ओ. साहब को मुल्जिमान के नाम नहीं बताये थे। मारपीट करने वालों ने जब गिरा दिया तब मैंने उसे उठाया था। मैं थाना सुनगढ़ी गया था और चूंकि उस दिन थाने में कोई नहीं था, इसलिये रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, 7 तारीख को बुलाया था हम गये। 7 तारीख को थाने वालों ने कहा कि जब जांच कर लेंगें तब रिपोर्ट लिखेंगें। मैंने सी.ओ. को सही बताया था कि दो लोग आये थे और उन्होंने मारपीट किया और गालियां दीं। सी.ओ. को यह बताया कि चमट्टे कहा, यदि सी.ओ. साहब ने मेरे वयान यह जाति सूचक शब्द व चमट्टे कहने की बात नहीं लिखी है, तो मैं उसकी वजह नहीं बता सकता। मुझसे जेल में किसी मुल्जिम की कोई शिनाख्त नहीं करायी गयी। मैंने सी. ओ. साहब को यह नहीं बताया कि हम 5 तारीख को थाने गये थे और उन्होंने कह दिया कि कोई स्टाफ नहीं है, रिपोर्ट नहीं लिखी जायेगी, 7 तारीख को आना और 7 तारीख को कह दिया कि जांच के बाद रिपोर्ट लिखेंगें। मैंने या भानू प्रताप ने इस बाबत कोई प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक को नहीं दिया। यह कहना गलत है कि मैं भानू प्रताप के दबाब में गलत बयानी कर रहा हूॅ। यह कहना भी गलत है कि ऐसी कोई घटना न हुयी हो। ''

(17) इस साक्षी के साक्ष्य के विश्लेषण यह स्पष्ट है कि इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक को वह मार्केट से त्रिपाल लेकर आ रहा था। वकील साहब भानूप्रताप उसे स्टेशन रोड पर मिल गये थे। केस के सिलसिले में वह और भानूप्रताप आपस में बातचीत कर रहे थी, तभी विवेकनाथ व विश्वनाथ आये और भानूप्रताप राय को थप्पड़ा मारा और गाड़ी से गिरा दिया तथा जातिसूचक शब्द चमट्टा कहा, पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। वह बीचबचाव करके वहां से चला गया। इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसे गवाही के लिए भानूप्रताप लेकर आये है, जो न्यायालय में मौजूद है। वह भानूप्रताप का मुवक्किल है, वह उसके वकील है, जो उसका केस देख रहे है। उसने सी.ओ. साहब को बताया था कि मारपीटी हुयी थी, जातिसूचक शब्द कहे थे, बाकी कुछ नहीं बताया था। उसने सी.ओ. साहब को मुल्जिमान के नाम नहीं बताये थे। मारपीट करने वालों ने जब गिरा दिया, तब उसने उसे उठाया था। उसने सी.ओ. साहब को सही बताया था कि दो लोग आये थे और उन्होंने मारपीट किया और गालियां दी। सी.ओ. को यह बताया कि चमट्टे कहा, यदि सी.ओ. साहब ने मेरे बयान में यह जातिसूचक शब्द व चमट्टे कहने की बात नहीं लिखी, तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। उससे जेल में किसी मुल्जिम की कोई शिनाख्त नहीं करायी गयी। उसने व भानू प्रताप ने 5 व 7 तारीख बाबत कोई प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक को नहीं दिया।

(18) इस प्रकार यह साक्षी कथित घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में दो लोग द्वारा वादी के साथ मारपीट किया जाना कहा गया है, परन्तु कथित घटना अभियुक्तगण द्वारा ही कारित किये जाने कोई कथन नहीं किया गया है। इस साक्षी ने स्वयं अपने साक्ष्य में वादी मुकदमा द्वारा उसका केस देखे जाने व उसके केस का अधिवक्ता होने का कथन किया है, जिस कारण इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

(19) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी **पी0डब्लू0 3 अनुराग त्रिपाठी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि घटना दिनांक 05.10.2023 को शाम सात बजे की है। झगड़ा हो रहा था, किससे हो रहा था, नाम नहीं पता। अमन, भानू आर विवेकनाथ में हो रहा था। किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था, मुझे यह नहीं मालूम। विवेकनाथ अग्रवाल और विश्वनाथ अग्रवाल भानू को गालियां दे रहे थे। सी0ओ0 साहब ने घटना के संबंध में मुझे पूछताछ की थी। अभियुक्तगण कह रहे थे तुम चमार हो और इग्लिंश में गालियां दे रहे थे।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि''मैंने सी.ओ. साहब को केवल अपना पता बताया था और कोई बयान नहीं दिया था। मैं दुकान बंद करके घर चला गया था, फिर आ गया था। मेरी दुकान और घर एक ही है। मैं खुद आया हूॅ। मुझसे सी.ओ. ने कुछ नहीं पूछा, इसलिए मैंने सी.ओ. को यह भी नहीं बताया मैं दुकान बंद करके घर चला गया था। अगले दिन दिनांक 06.10.2023 को मैंने सुना था कि दिनांक को झगड़ा हुआ था। यह बयान अगर सी.ओ. साहब ने लिखा है, तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि सुने सुनाये के आधार पर मैंने सी.ओ. को बयान दिया हो और मैंने कुछ न देखा हो। यह भी कहना गलत है कि आज वकील साहब वादी के दबाव में गलत बयानी कर रहा हूॅ।''

(20) इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है, परन्तु इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उसने सी.ओ. साहब को केवल अपना पता बताया था और कोई बयान नहीं दिया था। उससे सी.ओ. ने कुछ नहीं पूछा, इसलिए उसने सी.ओ. को यह भी नहीं बताया कि

वह दुकान बंद करके घर चला गया था। अगले दिन 06.10.2023 को उसने सुना था कि दिनांक को झगड़ा हुआ था। यह बयान अगर सी.ओ. ने लिखा है, तो वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। इस साक्षी द्वारा स्वयं अपने साक्ष्य में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उसने सी.ओ. साहब को केवल अपना पता बताया था। उसने कोई बयान सी.ओ. साहब को नहीं दिया था। इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक का बल नहीं मिलता है।

(21) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी **पी0डब्लू0 4 अनुज कुमार त्रिपाठी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि ''घटना दिनांक 05.10. 2023 को शाम के करीब सात बजे की है। मेरा घर और दुकान एक ही है। आगे दुकान व पीछे घर है। मैंने उस दिन अपनी दुकान लगभग पांच बजे बंद कर दी थी। मैं पांच बजे दुकान बंद करके घर चला गया था, फिर सात बजे थे, लगभग किसी काम से आया, तो देखा कि भानुप्रताप से विवेकनाथ ओर विश्वनाथ का लड़ाई झगड़ा हो रहा था। मैं बीच बचाव करा दिया। मुझे जानकारी नहीं कि झगड़ा किस बात को लेकर हो रहा था।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि''मेरा सी.ओ. साहब ने बयान लिया था। मैंने सी.ओ. को यह नहीं बताया था कि मैंने उसी दिन शाम को सात बजे किसी काम से आया था, तो मैंने झगड़ा होते देखा था और बीच बचाव करा दिया था, आज पहली बार न्यायालय में बताया है। ऐसा नहीं है कि मैंने 06.10.2023 को सुना था कि झगड़ा हो गया था। मैंने सी.ओ. को यह बात न ही बतायी थी कि 06.10.2023 को मैंने सुना था कि झगड़ा हो गया था। सी.ओ. ने कैसे लिख लिया मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। पिछली तारीख पर भी मैं गवाही देने आया था, परन्तु मेरी गवाही वादी ने उस दिन नहीं होने दी। यह कहना गलत है कि वादी के दवाब में गलत बयानी कर रहा हो''

(22) इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है, परन्तु इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उसका सी.ओ. साहब ने बयान लिया था। उसने सी.ओ. को यह नहीं बताया था कि वह उसी दिन शाम को सात बजे किसी काम से आया था, तो उसने झगड़ा होते देखा था और बीच बचाव करा दिया था, आज पहली बार न्यायालय में बताया है। उसने सी.ओ. को यह बात नहीं बतायी थी कि 06.10.2023 को उसने सुना था कि झगड़ा हो गया था। सी.ओ. ने कैसे लिख लिया वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। इस साक्षी द्वारा पूर्व में दिये गये बयान धारा 161 द.प्र.सं. सी.ओ. को दिये जाने से इन्कार किया है तथा न्यायालय के समक्ष पूर्व में किये गये अपने बयान में सुधार करते हुए साक्ष्य दिया गया है। इस साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का बल नहीं मिलता है।

(23) इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य से इस न्यायालय के अभिमत से अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण विवेकनाथ अग्रवाल व विश्वनाथ अग्रवाल के विरूद्ध अंतर्गत धारा 323/34, 504 व 506 भा.द.सं. व धारा 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम के जो आरोप लगाये गये हैं, अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त आरोपों को अभियोजन पक्ष पूरी तरह से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है अर्थात् अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण द्वारा अपने साक्ष्य से युक्ति–युक्त संदेह से परे यह साबित नहीं किया जा सका कि अभियुक्तगण विवेकनाथ अग्रवाल व विश्वनाथ अग्रवाल द्वारा वादी के साथ मारपीट करके स्वेच्छया साधारण उपहति कारित करने, गंदी गंदी गालियां देने, जान से मारने की धमकी देने तथा जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए

साशय गंदी–गंदी गालियां देकर जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर अपमानित किया है। वर्तमान में पत्रावली पर कोई भी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य अभियुक्तगण द्वारा एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम का अपराध कारित करने एवं कथित घटना कारित किये जाने के संबंध में उपलब्ध नहीं है।

(24) जहां तक अभियोजन प्रपत्रों आरोप पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट व घटनास्थल नक्शानजरी का प्रश्न है। उक्त प्रपत्रों की प्रमाणिकता की सत्यता अभियुक्तगण की ओर से औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली गयी है। निसन्देह अभिलेखीय साक्ष्य एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है परंतु अभिलेखीय साक्ष्य उसी स्थिति में महत्वपूर्ण है जबकि उसकी पुष्टि मौखिक साक्ष्य द्वारा की गयी हो। वर्तमान मामले में अभिलेखीय साक्ष्य की पुष्टि हेतु पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः मात्र अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर जब तक कि उक्त अभिलखों की पुष्टि हेतु कोई पुष्टिकारक साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। मात्र अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

(25) इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **दिग्म्बर वैष्णव एवं अन्य बनाम स्टेट आफ छत्तीसगढ़ (2019) 2 एस०एस०सी०–क्रि०–300** में अभिनिर्धारित किया गया है कि –

> आपराधिक विचारण के मामले में यह आधारभूत सिद्धांत है कि आपराधिक मामले को साबित करने का भार सदैव ही अभियोजन पर रहता है तथा ये सामान्यतः कभी भी परिवर्तित नही होता है। किसी भी व्यक्ति को अनुमान और शंकाओं अथवा संदेह चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, के आधार पर दोषसिद्ध नही किया जा सकता। सशक्त शंका, संयोग एवं गंभीर संदेह कभी भी वैध सबूत का स्थान नही ले सकते हैं।

तथा **परमजीत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य ए.आई.आर. 2011 पेज नं. 200** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि –

> आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध अपना मामला सन्देह से परे साबित किया जाना आवश्यक है यदि अभियोजन अपने दायित्व में विफल होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को प्राप्त हो सकेगा।

(26) उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण विवेकनाथ अग्रवाल व विश्वनाथ अग्रवाल के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 323 सपठित धारा 34, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(5ए) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण विवेकनाथ अग्रवाल व विश्वनाथ अग्रवाल अपने विरूद्ध लगाये गये धारा 323 सपठित 34, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(5ए) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

एतद्द्वारा विशेष सत्र परीक्षण संख्या 125/2024 में अभियुक्तगण विवेकनाथ अग्रवाल व विश्वनाथ अग्रवाल को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत

धारा 323 सपठित धारा 34, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(5ए) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

इस मामले में अभियुक्तगण धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दाखिल जमानते अगले छह माह तक लिए प्रभावी रहेंगे और अभियुक्तगण तथा उनके जामिनान उक्त जमानत से अबाध्य रहेंगे।

(राम किशोर IV)
दिनांकः 07.03.2026 विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत।

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(राम किशोर IV)
दिनांकः 07.03.2026 विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत।